COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5 रु. भारत पाँच रुपये

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक	प्रमोद कुमार बरकड़े उम्र 37 वर्ष पिता डुमारीलाल बरकड़े (आदिवासी) निवासी मकान नं. 27, ग्रा मरहापाग घाट पिपरिया, थाना बरगी, तहसील व जिला जबलपुर
	विरुद्ध
गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक	1- श्री गणेश गुप्ता पिता श्री भागीरथ प्रसाद गुप्ता निवासी मकान नं. 310, लोकमान्य तिलक वार्ड, जबलपुर 3- श्री आनंद नायडू पिता श्री लक्ष्मण राव नायडू निवासी 510 जगदम्बा कॉलोनी, चेरीताल वार्ड, जबलपुर 4- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 84/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1429 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-5-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक प्रमोद कुमार बरकड़े पिता डुमारीलाल बरकड़ेद्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मरहापाठा प.ह.नं. 32 (ढोडा) रा0 नि0 मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 23 रकबा 1.210 हे में से 0.400 भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री गणेश प्रसाद गुप्ता एवं श्री नंदलाल बठेजा एवं आनंद नायडू को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा	

प्रकरण कमांक निग0 1429 -एक/16 प्रमोद कुमार बरकड़े विरूद्ध गणेश गुप्ता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण तथा आवेदक को पारिवारिक कारणों से पैसों की आवश्यकता होने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन को खारिज कर प्रकरण में जुलाई माह की तिथि नियत करदी है जो न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम ग्राम मरहापाठा में 3.51 हैक्टर भूमि शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मरहापाठा प.ह.नं. 32 (ढोडा) रा0 नि0 मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 23 रकबा 1.210 हे में से 0.400 हे0	

प्रमोद कुमार बरकड़े विरूद्ध गणेश गुप्ता आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1425 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	